यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2019–22/115/2020 **दिनांक** : 09.07.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

- **केनरा बैंक, सरौली शाखा, सूरत की महिला साथी पर हमला – वित्त मंत्रालय द्वारा सामान्य दिशानिर्देश जारी किए गए**

उपरोक्त विषय में हम एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 28/215/2020/53 दिनांक 8.7.2020 का अनूदित सार आप सभी के सूचनार्थ नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सूचना पत्र को मूल रूप में परिपत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

केनरा बैंक, सरौली शाखा, सूरत की महिला साथी पर हमला
वित्त मंत्रालय से सामान्य दिशानिर्देश

हमारी यूनियनों तथा सदस्यों को ज्ञात है कि दो हफ्ते पहले, एक घटना हुई थी, जहां गुजरात के सूरत में केनरा बैंक, सरौली शाखा में एक सिपाही ने हमारी महिला साथी पर हमला किया था। तुरंत ही हमने इस मामले को वित्त मंत्री के साथ उठाया और उन्होंने भी मामले में प्रभावी रूप से हस्तक्षेप किया जिसके कारण उसके खिलाफ कुछ तत्काल कार्रवाई की गई थी।

लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस तरह के हमलों, उत्पीड़न और परेशानियों की यह एकमात्र घटना नहीं थी। यदा–कदा इस तरह की परेशानियों का बैंक स्टाफ, कर्मचारियों, अधिकारियों और प्रबंधकों द्वारा सामना किया जाता है और इसलिए हमने इस मामले को सामान्य रूप से उठाया और सरकार से स्थानीय अधिकारियों के लिए कुछ सामान्य दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया।

सूरत की घटना ध्यान आकर्षित करने वाली थी और हमने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभावी तरीके से इस मामले पर प्रकाश डाला। जीबीडब्ल्यूयू और एमजीबीईए के ध्वज तले गुजरात में हमारी यूनियनों और सदस्यों ने विभिन्न विरोध कार्यक्रम किए और इसलिए इस मामले पर सरकार का ध्यान गया।

अब हम पाते हैं कि अपर सचिव, वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंकिंग सेवाओं के महत्व और ऐसे हमलों में लिप्त बदमाशों से सख्ती से निपटने के उपायों की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को सूचना पत्र दिनांक 7.7.2020 भेजा है।

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह...
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री

पंकज जैन, भा.प्रा.से.
अपर सचिव

Pankaj Jain, I.A.S.
Additional Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएँ विभाग
जीवन दीप भवन,
१०, संसद मार्ग,
नई दिल्ली–११०००१

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES
JEEVAN DEEP BUILDING, 3RD FLOOR,
10, PARLIAMENT STREET,
NEW DELHI-110 001
TEL. : 23747507
E-mail : p.jain@nic.in
Website : www.financialservices.gov.in

D.O. No. 7/29/2020-BOA-I

7th July 2020

Dear Chief Secretary,

Securing the availability of banking services to the public at all times is essential for households to meet their expenses and access benefits through DBT, and for traders, micro-entrepreneurs, farmers, industries etc. to carry on economic activities. Delivery of essential services including banking is all the more important in the present context of the COVID-19 pandemic.

2. Recent news reports and social media coverage has highlighted instances of anti-social elements behaving in an unruly and threatening manner with bankers, within bank premises. You would agree that such incidents need to be responded to proactively and with a firm hand, stern action taken against such elements with full force of law, so that bankers are protected, and the public assured of secure access to and unhindered availability of banking services.

3. To this end, I request you to appropriately sensitise and instruct district magistrates and the state police to take all necessary measures for prevention, timely and effective response and deterrent actions. Public communication of the state's resolve and actions to deal firmly with miscreants would also help in deterring miscreants and instilling confidence in the public and the banking community.

Yours sincerely,

(Pankaj Jain)

Chief Secretary
[All States]

Copy to:

1. Chief Executive, Indian Banks' Association	For information and circulation among member banks
2. Chairman, State Bank of India	For sensitising senior bank executives to immediately take stock of such incidents and proactively approach the state and district authorities concerned for appropriate action
3. Managing Director and Chief Executive Officers of all nationalised banks	